वित्तीय स्वीकृति

संख्या-4/2023/44/52-3-23-बजट (11) /18-3002 (002)/10/2021

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ०प्र० लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4527/अ0सं00नि0-1380/छात्र0बजट आ0/2022-23, दिनांक 11-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 19000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 9500.00 लाख निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बिन (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/ दस- 2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के प्रस्तर-2(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 19000.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किश्त के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 9500.00 लाख (रू0 पञ्चानवें करोड मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर व्यय करने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि सम्बन्धित छात्र / छात्रा के आधार सीडिंग के उपरान्त कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह 31.03.2023 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. जिन विद्यालयों / मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमें छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन विद्यालयों / मदरसों के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र / छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।
4. धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है , जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. छात्रवृत्ति वितरण हेतु डाटा अग्रसारित करते समय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में डुप्लीकेसी न हो और एक छात्र / छात्रा को किसी भी दशा में दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 80-सामान्य-800 अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण 0303 अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्राओं को छात्रवृत्ति -21- छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन के नाम डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिददीकी)
उप सचिव।

संख्या- 44 (1)/52-3-2023-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (ई-4) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में) / नियोजन अनु-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।

6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आजा से,

(शकील अहमद सिददीकी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।